''मनरेगा में जल-जंगल-जमीन संरक्षण हेतु किये गये कार्यो का मूल्याकंन''

शाइस्ता बी*

सारांश

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के प्रति वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करते हुए आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचाई सुविधा, बाढ़ नियंत्रण आदि द्वारा ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यों को करते हुए ग्रामीणों के स्तर में सुधार इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 'प्रस्तुत अध्ययन जिला नैनीताल, ब्लाक भीमताल में ग्राम भेवा शोध का केन्द्र बिन्दु है'। शोधार्थी द्वारा शोध का उद्देश्य था कि क्या मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करना और रोजगार के साथ–साथ क्या मनरेगा योजना जल संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभा रही है? सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण विकास सम्भव हो रहा है और उसमें जल संरक्षण हेतु कार्य भी किये जा रहे हैं। जिससे ग्रामीणों को रोजगार भी प्रदान होता है और जल सम्बन्धी समस्या का समाधान भी हो रहा है।

मुख्य शब्द – मनरेगा, जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, भूमि।

प्रस्तावना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम (2005) 2 अक्टूबर 2009 से पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के नाम से जाना जाता अक्टूबर 2009 को बापू की 140वीं जयन्ती पर प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने नरेगा का नाम बदल कर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम किये जाने की घोषणा की। 2 फरवरी 2006 से देश के 200 जिलों में इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से शेष बचे हुए जिलों में इसे लागू करने के साथ ही यह पूरे देश में लागू हो गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 रोजगार की कानूनी गारण्टी देता है। न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को सहमत किसी व्यक्ति को रोजगार की वैधानिक गारण्टी ही इस अधिनियम की मूल अवधारणा है। काम पाने के अधिकार को वैधानिक बनाने की प्रक्रिया में यह एक ठोस कदम है, जो हमें सम्मानजनक जीवन जीने का हक देता है।

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के प्रति वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करते हुए आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचाई सुविधा, बाढ़ नियंत्रण आदि द्वारा ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यों को करते हुए ग्रामीणों के स्तर में सुधार इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत परिवारों का कोई भी 18 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो तथा अकुशल कार्य करने का इच्छुक हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार पा सकता है। अधिनियम में कहा गया है कि पंजीकरण कराने वालों और काम के लिए मांग करने वालों में कम से कम एक तिहाई महिलाओं का होना आवश्यक है।

इस योजना के अन्तर्गत जल–जंगल–जमीन हेतु भी कार्य किये जाते हैं। जैसे जल संरक्षण और शस्य संचय। सूखा रोधी (जिसके अन्तर्गत वन रोपण और वृक्षारोपण हैं) सिंचाई नहरें जिनके अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्वाधीन भूमि के लिए या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की भूमि के लिए या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई का उपबन्ध। पारम्परिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसके अन्तर्गत तालाबों का शुद्धीकरण भी है। भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण संरक्षण संकर्म, जिनके अन्तर्गत जलरूद्ध क्षेत्रों में जल निकाय भी है।

मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे 2005 में संसद के पटल पर रखा गया और 2006 में इसे लागू कर दिया।

इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षित करना है। योजना के द्वारा स्थायी सम्पत्ति, बेहतर जल सुरक्षा, भूमि संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के निर्माण के द्वारा गरीब लोगों की जीविका सुनिश्चित करना है। ग्रामीण भारत में सूखा–बचाव और बाढ़–प्रबन्धन को मजबूत करना।

* शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल

उद्देश्य

मनरेगा के माध्यम से जल–जंगल–जमीन संरक्षण हेतु कार्यों को समझना व चयनित गांव का सर्वेक्षण कर मनरेगा कार्यों में ग्रामीणों की सहभागिता ज्ञात करना।

शोध क्रियाविधि

प्रस्तुत अध्ययन जिला नैनीताल, ब्लाक भीमताल में ग्राम भेवा शोध का केन्द्र बिन्दु है। शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार व विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

मनरेगा में जल संरक्षण हेतु कार्य

सूखा रोधी कार्य, नवीनीकरण, वृक्षारोपण सहित लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई के लिए नहरों का कार्य। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के स्वामित्वाधीन भूमि के लिए भू–आवंटित परिवारों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अधीन लाभान्वित परिवारों को भूमि। सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था।

अधिकतर ग्रामीण परिवारों में पानी के लिए न केवल बहुत से प्रयोग होते हैं बल्कि उनकी अलग–अलग जरूरतों के लिए पानी के स्रोत भी अलग–अलग होते हैं। पानी का हर स्रोत जैसे एक तालाब बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करता है।[1] यहां तक कि आवास क्षेत्र के परिवारों द्वारा 9 अलग प्रकार के जल स्रोतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत निर्मित अधिकांश जल संरचनाओं को बहुउपयोगी संरचना बनाता है। वास्तव में महात्मा गांधी नरेगा को विश्व की सबसे बड़ी समुदाय आधारित बहुउपयोगी जल सेवा (एम0यू0एस0) प्रयोगशाला के रूप में देखा जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा से होने वाले लाभों और इसके प्रभावों को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक संपत्ति की प्रकृति और बहुउपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए। प्रभावी एम0यू0एस0 टिकाऊ संरचनात्मक निवेश और जल शासन के बीच उपयुक्त संतुलन बनाने की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

बिहार में किए गए एक क्षेत्र सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्राम सभा द्वारा मुख्य रूप से तालाबों की मांग करने का उद्देश्य सिंचाई था। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा मछली संवर्धन द्वारा प्राप्त लाभ में भी नजर आया। नालंदा में महात्मा गांधी नरेगा तालाब मछली संवर्धन के द्वारा आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। सार्वजनिक तालाब के मामले में मछली संवर्धन ने किसानों की आय में 27,400 रूपये का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, किसानों को 60 रूपये घण्टे की लागत से पानी खरीदने से भी बचत हुई। महात्मा गांधी नरेगा के निजी भूमि पर कार्यों का इस्तेमाल फसलों की सिंचाई और मछली संवर्धन दोनों में किया जाता है।[2,3]

महात्मा गांधी नरेगा संपत्तियों के लाभों के निर्धारण के समय अन्य पक्षों को भी शामिल करना चाहिए। इनमें से कुछ को सीधे मापा जा सकता है जैसे कि सिंचाई क्षेत्र में परिमाणात्मक वृद्धि, एक जल निकाय की संग्रहण क्षमता, वनीकृत क्षेत्र, खाद्य उत्पादन, चारा या घास और अन्य पैमाने भी हैं जो कि पारिस्थितिकी की व्यवस्था के संचालन से जुड़े हुए हैं। इन संपत्तियों के और भी उपयोग और लाभ हैं। जिनका निर्धारण करना अधिक कठिन है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किए गए एक अध्ययन के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा की गतिविधियां कृषि उत्पादन, जल संसाधन और आजीविका से लेकर अनिश्चित वर्षा, जल संकट और भूमि की कम उर्वरता की संवेदनशीलता को कम कर देते हैं। यह अध्ययन महाराष्ट्र में किए गए अध्ययन से भी पुष्ट होते हैं।[4]

टिकाऊ विकास के लिए महात्मा गांधी नरेगा का उत्तोलन

कई राज्यों ने महात्मा गांधी नरेगा का अन्य योजनाओं/सरकारी विभागों के साथ, जैसे जो कृषि और उद्यान कृषि से जुड़े हैं, तालमेल की पहल शुरू कर दी है। इस विषय पर उपलब्ध जानकारी ने कई व्यक्तिगत केस अध्ययन किए गए हैं जो पद्धति के सकारात्मक प्रभावों को दर्शाते हैं।

महात्मा गांधी नरेगा अपनी अंतर–खंडीय पद्धति के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सम्मेलन का अवसर प्रदान करती है। इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निवेश का बेहतर उपयोग करना है जो कि इसे एक आम/हिस्सेदार प्राप्तकर्ता से जोड़कर और इसमें तेजी लाकर भौतिक (क्षेत्र, ढांचा, प्राकृतिक स्रोत) और मानवीय (व्यक्ति, समूह, एजेंसी) रूप से किया जा सकता है।

महात्मा गांधी नरेगा के वर्तमान अध्ययन और मूल्यांकन महात्मा गांधी नरेगा के सम्मेलन के प्रभाव और लाभों का सूक्ष्म अध्ययन नहीं करते। दूसरे शब्दों में, विकास कार्यक्रमों की पूरक लागत कैसे योजना के लाभान्वितों की सहायता करती है।

महात्मा गांधी नरेगा को एक पारिस्थितिकीय अधिनियम के रूप में मान्यता दी जाती है जिसका लक्ष्य ग्रामीण भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर पुनः उत्सर्जन द्वारा टिकाऊ आजीविका का निर्माण करना है। इस प्रक्रिया में यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से लचीलापन और अनुकूलन प्रदान करता है।[6]

महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की उपयुक्तता का प्रमाण पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में उनकी उपयोगिता के रूप में उभर रहा है। अल्पकाल में ही, पर्यावरणीय सेवाओं का प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों, जल उपयोगिता इत्यादि पर दिखाई दे रहा है। व्यापक पैमाने पर, इसके जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और कार्बन पृथक्करण पर क्षेत्रीय प्रभाव भी हो सकते हैं।[9]

यह अध्याय इस योजना के पर्यावरणीय और कृषि पर प्रभावों का निर्धारण प्रमाण आधारित अध्ययनों के आधार पर करता है। उपलब्ध साहित्य बताता है कि महात्मा गांधी नरेगा का सूक्ष्म स्तर पर एक सकारात्मक प्रभाव रहा है। यद्यपि, इस योजना के सूक्ष्म स्तर पर प्रभावों के निर्धारण के लिए और अधिक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, छोटे, मध्यम और बड़े खेतों में जिसमें कुछ या सभी भू–भाग और फसलों की किस्मों के उत्पादन की व्यवहार्यता पर महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावों जैसे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं।

सूक्ष्मस्तरीय अध्ययन दर्शाते हैं कि महात्मा गांधी नरेगा में किए गए कामों, जैसे जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, पारम्परिक जल निकायों में सुधार, रोपण और अन्य गतिविधियों ने जल रिसाव को बेहतर बनाया है और भूमिगत जल के पुनर्भरण में सहायता की है। इसके कारण भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हुई है और कुछ मामलों में सिंचाई के अन्तर्गत जल की उपलब्धता भी बढ़ी है।

राजस्थान में 34 छोटे बांधों में किए गए एक मूल्यांकन में पाया गया कि औसतन महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत निर्मित एक छोटा बांध 26 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर रहा था और भूमिगत जल–पुनर्भरण में 3 से 25 कुओं की वृद्धि हुई जिससे कि जल स्तर 10–40 फुट बढ़ गया।[11]

चित्रदुर्ग अध्ययन में पाया गया कि महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत बने रोक बांध के कारण गांवों में एक वर्ष में रिसाव क्षमता बढ़कर 1,000–28,0000 क्यूबिक मीटर हो गई। एक गांव में रिसाव टैंकों के निर्माण के कारण जल संभरण क्षेत्र में पुनर्भरण 24 प्रतिशत बेहतर माना गया।[12] 2006–09 के बीच डिस्टीलेशन से भूमिगत जल के पुनर्भरण को और भी बढ़ाया। अध्ययन किए गए 20 गांवों में से 3 ने भूमिगत जल में 30 प्रतिशत (46 मीटर), 53 प्रतिशत (82 मीटर) और 77 प्रतिशत (113 मीटर) की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई। भूमिगत जल में वृद्धि से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई। गांवों ने दिखाया कि बोर वेल से सिंचाई के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। दो गांवों ने सिंचित क्षेत्र में 90 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की, एक गांव ने डिसिल्टिंग के बाद सिंचाई क्षेत्र को 400 हेक्टेयर से दो गुणा बढ़ाकर 800 हेक्टेयर रिकार्ड किया और तीन गांवों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।[13]

मध्य प्रदेश के खारगोन जिले की एक परियोजना के नतीजों ने भी महात्मा गांधी नरेगा के जल और आजीविका सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों पर समग्र परिणामों को दिखाया है। तीन वर्षीय महात्मा गांधी नरेगा परियोजना (2010–12) के समापन पर जो कि एक नदी के बचाव के लिए थी (इसमें डिसिल्टिंग, रोक बांध निर्माण इत्यादि शामिल हैं), जल स्तर में वृद्धि देखी गई जैसे कि सतही जल प्रवाह की अवधि 2 से 3 महीने बढ़ गई और भूमिगत जल स्तर 2 से 3 मीटर बढ़ा और फसल क्षेत्र में लगभग 400 हेक्टेयर की वृद्धि हुई।[14]

भारत भर में किए गए अन्य अध्ययन भी इसी तरह के नतीजे सामने रखते हैं। महाराष्ट्र में स्व–बोध आधारित सर्वेक्षण में 200 नमूना परिवारों में से 40 प्रतिशत ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत किए गए कामों के परिणामस्वरूप भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हुई है।[15]

महात्मा गांधी नरेगा के वर्तमान अध्ययन और मूल्यांकन महात्मा गांधी नरेगा के सम्मेलन के प्रभाव और लाभों का सूक्ष्म अध्ययन नहीं करते, दूसरे शब्दों में, विकास कार्यक्रमों की पूरक लागत कैसे योजना के लाभान्वितों की सहायता करती है।

जल–जंगल–जमीन संरक्षण में ग्रामीणों की सहभागिता

मनरेगा योजना ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करती है। मनरेगा द्वारा जल–जंगल–जमीन संरक्षण हेतु जो भी कार्य किये जाते हैं उनमें ग्रामीण जन अपनी पूर्ण सहभागिता निभाते हैं। परम्परागत जल स्त्रोतों का नवीनीकरण, जिसमें तालाबों को गहरा किया जाना भी सम्मिलित है। टैंक का निर्माण आदि।

ग्राम भेवा में सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि ग्रामीणों को मनरेगा योजना के बारे में पता है और वहां मनरेगा के अन्तर्गत जल संरक्षण हेतु कार्य किये गये हैं। वहां के ग्रामीणों के द्वारा जल संरक्षण कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

शोधार्थी द्वारा ग्राम भेवा में टैंक का सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के दौरान पता चलता है कि ग्राम भेवा में पानी के टैंक बनाये गये हैं और उन्होंने उनको बनाने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत कार्य भी किया है। टैंक बनने से वहां पर पानी की कमी को कुछ हद तक दूर किया गया है। महिलाएं जो कि प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर रहती हैं उनकी मुश्किल कुछ कम हुई है।

इस परियोजना के निर्माण से अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के ऊँचे–नीचे क्षेत्रों में स्थित जनजातियों के खेतों को भू–जल प्राप्त हो सकता है। विकास के इस दोहरे लाभ के कारण यह जनजातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह परियोजना अल्पकाल में श्रम आधारित होने के कारण मजदूरी के माध्यम से आय और मध्यम अवधि में परिसम्पत्तियों का निर्माण करती हैं जिससे आजीविका की निरन्तरता बनी रहती है। जलग्रहण परियोजना, मिट्टी तथा जल संरक्षण गतिविधियों से उन्नत कृषि विधियों तक इसका विस्तार कर सकेगी।

वहां के ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा द्वारा पेड़ लगाने का कार्य किया गया है और उनको रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

उत्तराखण्ड के ब्लॉक भीमताल के ग्राम भेवा में स्व–बोध सर्वेक्षण करने पर वहां के 30 ग्रामीणों में से 25 ग्रामीणों ने यह स्वीकार किया है कि मनरेगा योजना जल संरक्षण और वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके साथ–साथ यह योजना जल–जंगल–जमीन संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मनरेगा के तहत जल संरक्षण द्वारा ग्रामीणों की जल सम्बन्धी समस्या का समाधान हो रहा है।

मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार भी प्रदान हो रहा है। ग्रामीण अपनी समस्याएं दूर करने में खुद सक्षम हो रहे हैं और उनमें जागरूकता भी बढ़ी है। योजना में आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण समाज को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि मनरेगा योजना का जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यायवरणीय कार्यों को भी इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। साक्ष्यों से पता चलता है कि मनरेगा योजना ग्रामीण समाज में प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर पुनः उत्सर्जन द्वारा टिकाऊ आजीविका निर्माण कर रही है। मनरेगा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है इसे और अधिक मजबूत बनाने कीआवश्यकता है।

संदर्भ

1. हार्वेस्ट फार्म पोंड्स' जिनका निर्माण मध्य भारत में समाज प्रगति सहयोग द्वारा किया गया। मिहिर इत्यादि, इंडियाज ड्राईलेंड ट्राइवल सोसायटीज एंड डेवलपमेंट थ्रू इनवायरनमेंट रिजेनेरेशन, नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998।
2. वर्मा, एमजीएनआरईजीए एसेट्स एंड रूरल वाटर सिक्योरिटी।
3. तुलना करें, ए, कुमार और जी0 चंद्रा, ''इफेक्टिवनेस एण्ड ओनरशिप ऑफ इरीगेशन एसेट्स क्रिएटेड अंडर एमजीएनआरईजीए एण्ड लेबर मार्केट डायनामिक्स इन बिहार', आनन्दः इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट

(आईआरएमए), एमटीएस रिपोर्ट, 2010

4. वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, 'इम्पेक्ट अप्रेजल ऑफ एनआरआईजीए इन औरंगाबाद एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र', डब्ल्यू टीआर ''ग्रामीण विकास मंत्रालय / यूएनडीपी 2010 की सौंपी गई रिपोर्ट।
5. सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरनमेंट (सीएसई), 'ऑपरच्यूनिटीज एण्ड चैलेंजेस फॉर एनआरईजीए', नई दिल्लीः सीएसई; 2008
6. तिवारी आर0, एच0आई0 सोमशेखर, वी0आर0, रामकृष्ण, आई0के0 मूर्थि, एम0एस0 कुमार, बी0के0 कुमार, एच0 पाराटे, एम0, वर्मा, एस0 मालवीय, ए0एस0, राव, ए0 सेनगुप्ता, आर0 कट्टूमूरी और एन0एच0 रविन्द्रनाथ, 'महात्मा गांधी नरेगा फॉर एनवायरनमेंटल सर्विस एनहेंसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी रिडक्शनः रेपिड अप्रेजल इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट; कर्नाटक' इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खण्ड 66, संख्या 20, 14 मई 2011
7. वर्मा एस0, एमजीएनआरईजीए ऐसेट्स एण्ड रूरल वाटर सिक्युरिटीः सिंथेसिस ऑफ फील्ड स्टडीज इन बिहार, गुजरात, केरल एण्ड राजस्थान, आनन्दः इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 2011
8. उपरोक्त।
9. डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एमजीएनआरईजीए एडमिनिस्ट्रेशन, यह प्रजेंटेशन खारगोन जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश द्वारा 20 जनवरी, 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय को किया गया।
10. सरल कानूनी ज्ञान माला –27
11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005
12. गुप्ता, माधव प्रसाद, मनरेगा पंचायतीराज एवं जनजातीय विकास रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2016